कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 9360/2020 बृजमोहन लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.2020 को पारित निर्णय मे याचिकार्थी श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत वरिष्ठ सहायक, राउमावि कंचनपुर धौलपुर ने अभ्यावेदन निस्तारण हेतु विभाग को प्रेषित किया है।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी राज्य सेवा मे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति 11.05.2000 की है। याचिकार्थियो को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मे दी गई थी। प्रार्थी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे निवेदन किया है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय मे दायर याचिका संख्या 712/04 श्री दिनेश कुमार सैनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 को शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता मे आयोजित की गई थी। उक्त समिति द्वारा गम्भीर मनन एवं विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर एस.एल.पी नम्बर 8287/93, 8376/93, 13969–70/93 मे पारित निर्णय दिनांक 27.09.1993 के परिप्रेक्ष्य मे इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना मे नियुक्तियां दी जा चुकी है। जहां तक वरिष्ठता लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदत्त करने का प्रश्न है; न तो राज्य सरकार द्वारा एवं न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहां गया है कि ये नियुक्तियां भूतलक्षी प्रभाव से होगी।

यह है कि राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम– 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है जिसके अनुरूप इन याचिकर्ताओं को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है।

विभाग इस प्रकार के समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे डी.बी अपील संख्या 386/2020 निदेशक महोदय व अन्य बनाम प्रतापसिंह व अन्य दायर की गई है। उक्त स्पेशल अपील मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2020 को विभाग के पक्ष में स्थगन प्रदान किया गया है। D.B.SAW No. 386/2020 निर्णयाधीन होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के विवरणानुसार एतदनुसार प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/1986/नोशनल लाभ/2021 दिनांक – 16/03/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/29879/जी/2020/4के क्रम में।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. सम्बन्धित कार्मिक श्री ....
4. गार्ड पंजिका

16.3.21

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 9360/2020 बृजमोहन लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 17.09.2020 को पारित निर्णय मे याचिकार्थी श्री बृजमोहन लाल, सेवानिवृत वरिष्ठ सहायक, राउमावि करीमपुर धौलपुर ने अभ्यावेदन निस्तारण हेतु विभाग को प्रेषित किया है।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी राज्य सेवा मे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति 11.05.2000 की है। याचिकार्थियो को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मे दी गई थी। प्रार्थी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे निवेदन किया है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय मे दायर याचिका संख्या 712/04 श्री दिनेश कुमार सैनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 को शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता मे आयोजित की गई थी। उक्त समिति द्वारा गम्भीर मनन एवं विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर एस.एल.पी नम्बर 8287/93, 8376/93, 13969–70/93 मे पारित निर्णय दिनांक 27.09.1993 के परिप्रेक्ष्य मे इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना मे नियुक्तियां दी जा चुकी है। जहां तक वरिष्ठता लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदत्त करने का प्रश्न है, न तो राज्य सरकार द्वारा एवं न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहां गया है कि ये नियुक्तियां भूतलक्षी प्रभाव से होगी।

यह है कि राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम– 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है जिसके अनुरूप इन याचिकर्ताओं को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है।

विभाग इस प्रकार के समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे डी.बी अपील संख्या 386/2020 निदेशक महोदय व अन्य बनाम प्रतापसिंह व अन्य दायर की गई है। उक्त स्पेशल अपील मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2020 को विभाग के पक्ष में स्थगन प्रदान किया गया है। D.B.SAW No. 386/2020 निर्णयाधीन होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के विवरणानुसार एतदनुसार प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/1986/नोशनल लाभ/2021 दिनांक – 16/03/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/29879/जी/2020/4के क्रम में।
2. सिस्टम ऐनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. सम्बन्धित कार्मिक श्री ....
4. गार्ड पंजिका

16.3.21
उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के परिशिष्ठ 1 के अन्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्व चयनोपरान्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की पे. मेट्रिक लेवल एल–11 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

इन पदोन्नत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 25.03.2021 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, कार्यग्रहण अवधि में किसी प्रकार की वृद्वि नहीं की जावेगी। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष,संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त / कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। जो अधिकारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहते है सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / संस्थाप्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त करें, आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 25.03.2021 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 26.03.2021 तक ई मेल sogad2019@gmail.com पर प्रेषित करेगे।

क्र स	वरि. क्रमांक	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान	चयन तिथि
1	576ए	रविन्द्र कुमार	एससी	05-07-71	राउमावि हर्ष, सीकर	जिला शिक्षा अधि. (मुख्या.) माध्यमिक, [illegible]	01-03-2021
2	586 / 13.16	अरविन्द कुमार महात्मा	सामान्य	23-05-63	जिशिअ (मा) राजसमन्द	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ	01-03-2021
3	589 / 13.16	घनश्याम पंवार	एससी	01-04-66	राउमावि कालेडा कंवरजी अजमेर	जिला शिक्षा अधि. (मुख्या.) माध्यमिक, भीलवाडा	01-03-2021
4	591 / 13.16	प्रकाश चन्द्र	सामान्य	17-06-67	राउमावि बालेरा बाडमेर	जिला शिक्षा अधि.(मुख्या) माध्यमिक, बाडमेर	01-03-2021

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक / क–2 / 95 दिनांक 8.4.2003 के प्रावधानानुसार दिनांक 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथपत्र स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवायें। किसी कार्मिक के विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन हो, जिससे पदोन्नति पर प्रभाव पडता हो उन्हें कार्यमुक्त नही करें एवं इस कार्यालय को तत्काल सूचना प्रेषित करे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / साप्र / बी–1 / 2828 / OSDPC / 2020–21 / 23 दिनांक– 16/03/21

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग।
2– संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4– अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग।
5– सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6– सम्बन्धित संस्था प्रधान
7– सम्बन्धित अधिकारी
8– गार्ड पंजिका

16.3.21
उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

AAO 20-21/64

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के परिशिष्ट 1 के अन्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्व चयनोपरान्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की पे. मेट्रिक लेवल एल–11 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

इन पदोन्नत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 25.03.2021 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, कार्यग्रहण अवधि में किसी प्रकार की वृद्वि नहीं की जावेगी। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष,संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। जो अधिकारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहते है सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त करें, आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 25.03.2021 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से **दिनांक 26.03.2021 तक** ई मेल sogad2019@gmail.com पर प्रेषित करेगे।

क्र स	वरि. क्रमांक	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान	चयन तिथि
1	576ए	रविन्द्र कुमार	एससी	05-07-71	राउमावि हर्ष, सीकर	जिला शिक्षा अधि. (मुख्या.) माध्यमिक, [illegible]सा	01-03-2021
2	586/13.16	अरविन्द कुमार महात्मा	सामान्य	23-05-63	जिशिअ (मा) राजसमन्द	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौडगढ	01-03-2021
3	589/13.16	घनश्याम पंवार	एससी	01-04-66	राउमावि कालेडा कंवरजी अजमेर	जिला शिक्षा अधि. (मुख्या.) माध्यमिक, [illegible]लवाडा	01-03-2021
4	591/13.16	प्रकाश चन्द्र	सामान्य	17-06-67	राउमावि बालेरा बाडमेर	जिला शिक्षा अधि.(मुख्या) माध्यमिक, [illegible]डमेर	01-03-2021

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 8.4.2003 के प्रावधानानुसार दिनांक 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथपत्र स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवायें। किसी कार्मिक के विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन हो, जिससे पदोन्नति पर प्रभाव पडता हो उन्हें कार्यमुक्त नही करें एवं इस कार्यालय को तत्काल सूचना प्रेषित करे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2828/OSDPC/2020–21/23 दिनाक– 16/03/21

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग।
2– संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4– अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग।
5– सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6– सम्बन्धित संस्था प्रधान
7– सम्बन्धित अधिकारी
8– गार्ड पंजिका

16.3.21

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

AAO 20-21/64

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा याचिकार्थिया विमला बिन्दा को जोधपुर जिला आवंटित किया गया था। विमला बिन्दा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 275/2021 विमला बिन्दा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.01.2021 के अनुसरण मे याचिकार्थी विमला बिन्दा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उक्त अभ्यावेदन मे याचिकार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया है कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 मे चयनोपरान्त विभाग द्वारा गृह जिला/चाहा गया जिला नागौर आवंटित न कर जोधपुर जिला आवंटन किया गया है। याचिकार्थी के कथनानुसार उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियो को गृह जिला/चाहा गया जिला आवंटित किया गया. एवं उनका पदस्थापन स्थान जोधपुर से 60 कि0मी0 दूर है। याचिकार्थी द्वारा यह भी कहां गया है कि उनकी परिवेदना पर विचार नहीं किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा गृह जिला/चाहा गया जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री विमला बिन्दा द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार जोधपुर जिला आवंटित किया गया था।

जिला आवंटन के समय विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु. /अनु–3/2020पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही जिला आवंटन काउन्सलिंग प्रक्रिया के द्वारा जिला आवंटन हेतु विशेष श्रेणियों का निमार्ण कर वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो मे याचिकार्थी को जोधपुर जिला आवंटित किया गया है जो कि पूर्णतः सही व नियमानुसार है। शासन के निर्देशानुसार ही दिनांक 27.06.2020 को जिला आवंटन हेतु विशेष श्रेणियों का निर्धारण कर नागौर जिले में निम्नानुसार रिक्तियो/सीटो का आवंटन किया गया है –

श्रेणियां जिनमे रिक्त सीटों का आवंटन किया	नागौर जिले मे रिक्तियो का आवंटन
दिव्यांग	23
असाध्य रोग से पिडित आश्रित होने पर	03
एकल महिला	150
भूतपुर्व सैनिक	4
पति–पत्नी प्रकरण/कोई एक पूर्व मे राजकीय सेवा मे हो	30
सामान्य महिला	13
योग	223

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन मे जिन कम वरियता वालो को नागौर जिले मे पदस्थापन करने का कहा गया है उक्त सभी महिला अभ्यर्थी एकल महिला श्रेणी की होने के कारण उन्हे जिला आवंटन के समय श्रेणी का लाभ देते हुए नागौर जिला आवंटित किया गया है।

जिला आवंटन के पश्चात कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने पर अभ्यर्थियो को तत्समय विभाग के पास उपलब्ध पदों के अनुसार उनके पूर्व पदस्थापन जिले परिवर्तित किये गये। किसी कार्मिक द्वारा गृहनगर/इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था, राज्य हित व लोकहित को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, याचिकार्थी द्वारा गृह जिले मे पदस्थापन की मांग कनिष्ठ सहायक रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण एतदनुसार द्वारा याचिकार्थी विमला बिन्दा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/कनिसहा.2018/विमलाबिन्दा/275/2021 दिनांक – 16/03/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/ 29810/ए/2021/3 दिनांक 24.02.21
2. ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबधित जिशिअ मु.मा.शि. पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यावेदन संबंधी निर्णय से कार्मिक को अवगत करावे।
4. विमला बिन्दा, कनि.सहा. राउमावि निम्बो का गांव पं.स. बालेसर जिला जोधपुर
5. रक्षित पत्रावली

16.3.21

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर